बिन्दु सं0 –3

निर्णय पारित करने की प्रक्रिया में लागू किये जाने वाली प्रक्रिया, जिससे निरीक्षण एवं उत्तर दायित्व की रीतियॉ शामिल हैं:–

विभागीय योजनाओं के संचालन हेतु शासन से स्वीकृत धनराशि परियोजना अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनकी मांग के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में ही आवंटित कर दी जाती है। सभी योजनाओं में लाभार्थियों को सहायता/लाभ स्वीकृत करने व वितरित करने का अधिकारी जिले स्तर पर शिक्षण संस्था स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर है। जिला स्तरीय व मंण्डलीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित स्थलीय सत्यापन किया जाता है और समय–समय पर मुख्यालय स्तर पर भी स्थलीय सत्यापन कराया जाता है।